एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

ईएआरसी–बैंक–029–ट्रस्ट के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्यरत
कॉर्पोरेट कार्यालय: 5वीं मंजिल, प्लॉट सं.137, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122002, हरियाणा, भारत
फोन +91–124.4527200, फैक्स +91–124.4527231, ई–मेल contact@encorearc.com
पंजीकृत कार्यालय: कैप्री कमर्शियल टॉवर, रेगर बिजनेस सेंटर, 5वीं मंजिल, एरोसिटी (डायस), नई दिल्ली, भारत – 110037

कब्जा सूचना

जहाँकि,

एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("एन्कोर एआरसी"), ईएआरसी–बैंक–029 ट्रस्ट के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करते हुए, ने दिनांक 14–12–2023 के पंजीकृत हस्तांतरण अनुबंध के माध्यम से, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के अंतर्गत, बैंक द्वारा उत्पन्न गजाना टेकवेद की वित्तीय परिसंपत्तियों में मणपुरम होम फाइनेंस लिमिटेड ("बैंक") के समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं हित अधिग्रहित कर लिए हैं।

और जबकि, अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एन्कोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 ("नियम") के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 23–08–2024 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसके द्वारा गजाना टेकवेद (उधारकर्ता), मामराज मामराज (सह–उधारकर्ता–1) एवं धारा सिंह (सह–उधारकर्ता–2) को उक्त नोटिस में वर्णित राशि रु. 7,07,612/– (रुपये सात लाख सात हजार छह सौ बारह मात्र), जो दिनांक 23–08–2024 को देय तथा उस पर दिनांक 24–08–2024 से संविदात्मक दर पर लागू आगे के ब्याज, आनुषंगिक व्यय एवं लागत सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु आह्वान किया गया था।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा देय राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, अधोहस्ताक्षरी, एन्कोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि उन्होंने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 05–06–2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार/लेन–देन न करें तथा संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रभाराधिकार के अधीन होगा, जिसकी देय राशि दिनांक 08–06–2026 को रु. 10,44,242/– (रुपये दस लाख चवालीस हजार दो सौ बयालीस मात्र) तथा इस पर दिनांक 09–06–2026 से संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज, आनुषंगिक व्यय एवं लागत भी देय होगी।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची

अचल संपत्ति का विवरण: पट्टा संख्या–09 (88.88 वर्ग गज) एवं पट्टा संख्या–11 (161.11 वर्ग गज), संकल्प संख्या–02 एवं 04, खेसाली ग्राम, पंचायत समिति नगर, जिला–भरतपुर, राज सैनी चौपाल, भरतपुर, डाकघर–खोहरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, पिन–321024 सीमा विवरण: पट्टा संख्या–09 पूर्व: सामान्य मार्ग पश्चिम: लीला का खुला प्लॉट दक्षिण: धारा सिंह का मकान उत्तर: सामान्य मार्ग पट्टा संख्या–11 पूर्व: हरिश चंद का मकान पश्चिम: सामान्य मार्ग दक्षिण: पुनाजी की खुली भूमि उत्तर: हजाद का मकान

दिनांक: 12.06.2026
स्थान: अलवर

हस्ता/– के सोमेश कुमार
प्राधिकृत अधिकारी
कृते एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

CENTRUM HOME LOANS

कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः यूनिट क्रमांक 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई– 400098, सीआईएन क्रमांक U65922MH2016PLC273826

कब्जे का नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) एवं 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता/गारंटर(ओं) को नीचे उल्लिखित कंपनी को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस(सों) जारी किया जाता है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता/गारंटर(ओं) और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति के लेनदेन करने न के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए नीचे उल्लिखित राशि के साथ ब्याज प्रभार के अधीन होगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या /उधारकर्ता(ओं)/ सह–उधारकर्ता(ओं)का नाम	प्रतिभूति परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग नोटिस की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1.	MTCSR23013454 हरि ओम/बाला देवी	खसरा नंबर 2955, प्लॉट का एरिया 83.66 वर्ग मीटर, मोहल्ला– दयानंद नगर, आवासीय शामली, परगना, तहसील और जिला– शामली, मुजफ्फरनगर–247776, उत्तर प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़ा और हिस्सा, । सीमाएं– पूर्वः– जमीन खसरा नंबर 2955 पश्चिम– जमीन खसरा नंबर 2955 उत्तर – हरपाल सिंह का प्लॉट दक्षिण– 16 फीट चौड़ा रास्ता	31–दिसंबर–24/ रु. 12,92,034/– (बारह लाख बानवे हजार चौंतीस रुपये मात्र)	08–06–2026
2.	MTCMT23014302 प्रशांत पंवार/ दीपा देवी/दीपांशु कुमार/ दिव्यांशु पंवार	आवासीय घर नंबर 133, एरिया 100.33 वर्ग मीटर, अंबेडकर नगर, करबा करनावल, परगना तहसील सरधना, जिला मेरठ–250344, उत्तर प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़ा और हिस्सा। सीमाएं– पूर्वः– 18 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम :– यामीन और रहीसुद्दीन का घर उत्तर – श्रीमती शशि (जयवीर की पत्नी) का घर दक्षिण– मलखान सिंह और अन्य का प्लॉट	07–मई–25/ रु. 9,95,688/– (उन्नीस लाख पचानवे हजार छह सौ अठासी रुपये मात्र)	08–06–2026
3.	MTCMT24019260 मोनू कुमार/ संसारी देवी	खसरा नंबर 3164, एरिया 50.17 वर्ग मीटर, गांव बरनावा, बिनोली रोड, तहसील– बड़ौत, जिला बागपत–250345, उत्तर प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़ा और हिस्सा। सीमाएँ– पूर्वः गजराज का घर पश्चिम : 20 फीट चौड़ा रास्ता उत्तरः रमेश गुसाईं का प्लॉट दक्षिणः विक्रेता का प्लॉट	27–जनवरी–26/ रु. 2,19,053/– (दो लाख उन्नीस हजार तिरपन रुपये मात्र)	08–06–2026

दिनांकः 12.06.2026/स्थानः उत्तर प्रदेश

हस्ता./–अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

ART HOUSING FINANCE

एआरटी हाउसिंग फाइनान्स (इंडिया) लिमिटेड

पहले एआरटी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था
रजिस्टर्ड ऑफिस: 107, पहली मंजिल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
शाखा ऑफिस: 49, उद्योग विहार फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015

सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस।

नीचे हस्ताक्षर करने वाले, ART हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (जो SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 2(1)(m)(iv) के तहत एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 107, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में है - जिसे आगे "सिक्योर्ड क्रेडिटर" कहा जाएगा) के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, नीचे दिए गए लोन अकाउंट नंबर के संबंध में यह नोटिस जारी कर रहे हैं। इस अकाउंट को **06.06.2026** को **NPA** घोषित किया गया था।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का पता	सुरक्षित संपत्तियों का प्रॉपर्टी पता	मांग सूचना 13(2) की तारीख	बकाया राशि
1.	LNLK001419-200007409	प्रेम और प्रीति राघव	क्वार्टर नंबर 54/06, आर एस विहार, कैंट लखनऊ, बेस हॉस्पिटल के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002 और 179, घमरोज सोहना रोड, विवेक भारती पब्लिक स्कूल के पास, गुड़गांव, हरियाणा – 122102	फ्लैट नंबर 303, ब्लॉक E25, तीसरी मंज़िल, प्रोजेक्ट BDI आनंदा, जो सेक्टर-70, झिवना, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान में स्थित है (क्षेत्रफल 350 वर्ग फ़ीट)।	08.06.2026	₹4,94,308/- (चार लाख चौरानवे हज़ार तीन सौ आठ रुपये मात्र) 08.06.2026 तक

नोटिस पाने वालों से कहा जाता है कि वे इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऊपर बताई गई रकम का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, AHFL यहाँ बताई गई सिक्योर्ड एसेट्स (सुरक्षित संपत्तियों) के संबंध में सिक्योरिटी इंटरेस्ट लागू करने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होगा। यह नोटिस AHFL को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना जारी किया जा रहा है।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सिक्योर्ड एसेट्स को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

दिनांक: 12.06.2026
स्थान: लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

अधिकृत अधिकारी
एआरटी हाउसिंग फाइनान्स इंडिया लिमिटेड

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड पर पहली मंजिल, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम–8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार
1	पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)	EARC Trust SC- 484	HL/0245/H/14/100044	उधारकर्ता स्वर्गीय श्री गोपाल शाह उनके कानूनी वारिसों और सह–उधारकर्ता द्वारा श्रीमती सीता देवी	रु. 20,16,607.84/- और 20.03.2024	08.06.2026	भौतिक कब्जा

संपत्ति का विवरण: प्लॉट सं. 110 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, खसरा नंबर 228 में से,राम विहार कॉलोनी, गाँव बंथला, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और जिसकी सीमाएँ: पूर्व – 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम – अन्य संपत्ति, उत्तर – अन्य संपत्ति, दक्षिण – अन्य संपत्ति

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन–देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक 08.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी
कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका **भौतिक कब्जा** चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. HE01DES00000027636 1. प्रफुल कुमार (आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680 2. सुरभि अग्रवाल (सह–आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680 3. टेराकास्ट (इसके अधिकृत कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक/ स्वामीगण के माध्यम से) (सह–आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680 4. सुरभि एंटरप्राइजेज (इसके अधिकृत कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक / स्वामीगण के माध्यम से) (सह–आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680 5. अनिल कुमार (सह–आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680 6. मेटालोन मार्केटिंग (इसके अधिकृत कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक / स्वामीगण के माध्यम से) (सह–आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680 7. मृदुला रानी (सह–आवेदक) 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101 (एम) – 9971133680	17–05–2023 रु. 2,07,05,038.00 कब्जा का प्रकार: भौतिक	आवासीय मकान – नगर पालिका नंबर 734, 734/219, 19, प्लॉट नंबर 19 पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल परिमाप 439.11 वर्ग गज यानी 367.28 वर्ग मीटर, स्थित मोहल्ला आलोक हापुड़, नगर निगम हापुड़ की सीमांतर्गत, परगना एवं तहसील एवं जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब : अन्य, पश्चिम : 40 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : अन्य का मकान, दक्षिण : अन्य का मकान	रू. 2,30,00,000 /- रू. 23,00,000/ - रू. 1,00,000/ -	30–06–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 29–06–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
2.	ऋण खाता सं. HE01ELD00000091399 1. अंकित वर्मा (आवेदक), मकान नंबर 23, द्वितीय तल, पॉकेट 4ए, सेक्टर 23, रोहिणी, पी.ओ. रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली –110085 2.विधि वर्मा (सह–आवेदक), मकान नंबर 23, द्वितीय तल, पॉकेट 4ए, सेक्टर 23, रोहिणी, पी.ओ. रोहिणी सेक्टर 7,दिल्ली–110085 3. परवीन वर्मा (सह–आवेदक),मकान नंबर 23, द्वितीय तल,पॉकेट 4ए, सेक्टर 23, रोहिणी, पी.ओ. रोहिणी सेक्टर 7,दिल्ली–110085 4. हिंद ऑटो (स्वामी अंकित वर्मा के माध्यम से) (सह–आवेदक),मकान नंबर 23, द्वितीय तल, पॉकेट 4ए, सेक्टर 23, रोहिणी, पी.ओ. रोहिणी सेक्टर 7,दिल्ली–110085 5. गोपाल सागर (सह–आवेदक), मकान नंबर 23, द्वितीय तल, पॉकेट 4ए, सेक्टर 23, रोहिणी, पी.ओ. रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली – 110085	12–12–2025 रु. 2,12,32,110.00 कब्जा का प्रकार: भौतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम, पॉकेट संख्या 4–ए,सेक्टर–23, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 के लेआउट प्लान में स्थित फ्री होल्ड सम्पत्ति संख्या 23, सम्पूर्ण द्वितीय तल, छत/टेरेस के बिना, क्षेत्रफल परिमाप 207 वर्ग मीटर और इस सम्पत्ति के नीचे भूमि के आनुपातिक फ्री होल्ड राइट्स के साथ, अलग–अलग बिजली, पानी और कॉमन सीवर कनेक्शन, आवश्यक फिक्स्चर और फिटिंग के साथ, लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए समान साझा अधिकार और स्टिल्ट पार्किंग में 25: (1/4) अविभाजित स्वामित्व अधिकार हैं, जो इस प्रकार सीमाबद्ध है: पूर्व – प्लॉट नंबर 24, पश्चिम – प्लॉट नंबर 22, उत्तर – प्लॉट नंबर 10, दक्षिण – प्रवेश	रू. 2,04,00,000/- रू. 20,40,000/ - रू. 1,00,000/ -	30–06–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 29–06–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार

ज्ञात ऋणभार

कंपनी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, बेची जाने वाली सम्पत्ति पर कंपनी और निम्नवर्णित के अतिरिक्त किसी भी तरह के ऋणभार के बारे में कंपनी को जानकारी नहीं है:– विषयगत सम्पत्ति दूसरे बैंकों और एफआईज जैसे – यूग्रो फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और फुलरटोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास भी बंधक रखी है। इन बैंकों और एफआईज का प्रभार सीआईएफसीएल के प्रभार के अतिरिक्त है।

1.आईओएन–नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 8124000030), Ms.procure247 (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल – 9510974587)
2. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/auction-notices देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली/एनसीआर , हापुड़
दिनांक : 11–06–2026

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र
सीआईएन नंबर: U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को एक मांग नोटिस जारी किया है। जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आह्वान किया है। उधारकर्ता द्वारा राशि वापस न करने के कारण, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज, लागत आदि शामिल होंगे।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता का नाम और लैन नं.	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	मोहम्मद आदिल (उधारकर्ता), अर्शी (सह–उधारकर्ता), सलीम (सह–उधारकर्ता) MHL000000257053	17.03.2026 रु. 1065813/- दि. 14.03.2026 तक	खसरा नं. 2326/2, आवासीय कॉलोनी, अशोक विहार, गाँव – लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102, क्षेत्रफल 225 वर्ग फुट, सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर–अन्य की संपत्ति, दक्षिण–अन्य की संपत्ति, पूर्व–15 फुट रास्ता, पश्चिम–अन्य की संपत्ति	09.06.2026 को सांकेतिक कब्जा लिया गया
2	मोहित वर्मा (उधारकर्ता), प्रियंका वर्मा (सह–उधारकर्ता) LP0000000069526	17.03.2026 रु. 415887/- दि. 14.03.2026 तक	निर्मित तीसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 51–1/2 वर्ग गज, यानी 43.05 वर्ग मीटर, खसरा नं. 642 में से, संपत्ति नं. 3/183, गाँव चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में, छोटा ठाकुर द्वारा की आबादी में, इलाका शाहदरा, दिल्ली – 110032 सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर–गली दक्षिण–अन्य की संपत्ति पूर्व–सड़क पश्चिम–संपत्ति नं. 102	09.06.2026 को सांकेतिक कब्जा लिया गया
3	विष्णु कांत (उधारकर्ता), खुशबू (सह–उधारकर्ता), सुरेश (सह–उधारकर्ता), भूपेश (गारंटर) MLP000000193616	16.03.2026 रु. 645707/- दि. 14.03.2026 तक	मकान, क्षेत्रफल 200.69 वर्ग गज, यानी 167.80 वर्ग मीटर, खसरा नं. 150 मौजा खेड़िया, तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281005 सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर–रम्मो उर्फ रमनलाल का मकान, दक्षिण–हरिओम आदि का मकान, पूर्व–ओमप्रकाश का मकान पश्चिम–सड़क 6 फुट चौड़ी और मुकेश का मकान	09.06.2026 को सांकेतिक कब्जा लिया गया
4	जितेंद्र सिंह (उधारकर्ता), नाथिया (सह–उधारकर्ता), महेंद्र सिंह (सह–उधारकर्ता), कमल सिंह (गारंटर) MLP000000217980	16.03.2026 रु. 778752/- दि. 14.03.2026 तक	मकान का क्षेत्रफल 194.44 वर्ग गज या 162.57 वर्ग मीटर, मौजा पिलुआ, तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281001 सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर–गोपाल का मकान दक्षिण–निरंजन सिंह का मकान पूर्व–दानकर्ता की संपत्ति पश्चिम–18 फुट का रास्ता	09.06.2026 को सांकेतिक कब्जा लिया गया
5	अवतार सिंह (उधारकर्ता), जसविंदर कौर (सह–उधारकर्ता), चंद्रदीप सिंह (गारंटर) HL0000000034893	16.03.2026 रु. 603398/- दि. 14.03.2026 तक	पूर्ण ऊपरी भूतल बिना छत के अधिकार के (उक्त फ्लोर) सम्पत्ति नं. डब्ल्यू जेड – एच/5–ए पर निर्मित, जिसका एरिया 60 वर्ग गज सम्पत्ति नं. WZ - H/5 का हिस्सा, एरिया 250 वर्ग गज खसरा नं. 9/15 में से, चौखंडी गाँव के इलाके में संत नगर एक्सटेंशन की आबादी में, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110018 सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर–सम्पत्ति का हिस्सा दक्षिण–प्लॉट नं. 6 पूर्व–15 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम–ऊपर बताए गए प्लॉट का हिस्सा जिसे डब्ल्यू जेड – एच/5–बी के नाम से जाना जाता है	09.06.2026 को सांकेतिक कब्जा लिया गया
6	दीपक कुमार (अब मृत), यानी अनीता कश्यप (पत्नी) (स्वर्गीय दीपक कुमार की कानूनी उत्तराधिकारी), श्रीमती अनीता कश्यप (पत्नी), कुमारी दिया कश्यप (पुत्री) (दीपक कुमार की नाबालिग कानूनी उत्तराधिकारी) की प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, सह–उधारकर्ता: अनीता कश्यप HL0000000272352	18.03.2026 रु. 866588/- दि. 18.03.2026 तक	फ्रीहोल्ड रेजिडे